For Publication in Newspaper

No. f.6(83)JDA/G.Store/Ganesh Pratima /2026/D- 89 Date : 10/3/ 2026

NOTICE INVITING BID

Offline sealed Bids are invited for **"Supply of Ganesh Pratima & Safa"** up-to 17/03/2026 till **4:00 PM.** The estimated cost of work is Rs. 1,10,000/- (One Lakh ten Thousand Only). Details may be seen in the Bidding Document available on www.jda.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in.

UBN No.-.....................................

Dy. Commissioner (Store)
Jaipur Development Authority Jaipur

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.rajasthan.gov.in

पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु

क्रमांकः– प.6(83)जविप्रा / सा.स्टोर / स्मृति चिन्ह/2026/D- 89 दिनांक 10/3/2026

निविदा सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा **"स्मृति चिन्ह एवं साफा की आपूर्ति"** जिसकी अनुमानित लागत रू. **1,10,000/–** (एक लाख दस हजार रूपयें) के लिए ऑफलाईन मोहरबन्द बिड्स दिनांक 17/03/2026 को सांयः 4:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा बोली के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in, www.jda. rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त (सा.स्टोर)
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांकः—प.6(83)जविप्रा / सा0स्टोर / स्मृति चिन्ह / 2026 / डी—   दिनांकः

:—सीमित बोली आमंत्रण सूचनाः—

जविप्रा में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को भेंट स्वरुप दिये जाने वाले स्मृति चिन्ह् एवं साफा की आपूर्ति हेतु विक्रेताओं से सीमित बोली प्रस्ताव संलग्न शर्तों के अध्यधीन आमंत्रित किये जाते है।

क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	प्रस्ताव प्रेषित करने एवं खोलने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान
1.	जविप्रा में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को भेंट स्वरुप दिये जाने वाले स्मृति चिन्ह् एवं साफा की आपूर्ति (वित्तीय प्रस्ताव के अनुसार)	राशि रूपये 1.10 लाख	प्रस्ताव दिनांक 17.03.2026 को सांय 4.00 बजे तक स्वीकार किये जावेगें एवं उसी दिन सांयः 5.00 बजे उपायुक्त (स्टोर) कमरा नं—5ए मुख्य भवन, ग्राउण्ड फ्लोर, जविप्रा, जयपुर के कक्ष में खोले जावेगें।

उपायुक्त (सा.स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–प.6(83)जविप्रा / सा0स्टोर / स्मृति चिन्ह / 2026 / डी–   दिनांकः

बोली – प्रपत्र

विषयः– जविप्रा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को भेंट स्वरुप दिये जाने वाले स्मृति चिन्ह् एवं साफा की आपूर्ति बाबत्।

1. बोलियाँ दिनांक 17/03/2026 को सांय 4:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा प्राप्त बोलियों (तकनीकी प्रस्ताव) को उसी दिन सायं 5:00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। तकनीकी प्रस्ताव में योग्य पाई जाने वाली फर्मो के वित्तीय प्रस्ताव को खोले जाने के क्रम में संबंधित को पृथक से सूचित किया जावेगा।
2. बोलीदाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता..

   ....
3. पता जिस पर बोली प्रेषित की जानी हैः– सदस्य सचिव, उपापन समिति उपायुक्त स्टोर कमरा नं.–5ए, मुख्य भवन, जविप्रा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
4. बोली सूचना संख्या क्रमांकः–

   प.6( ) जविप्रा / सा. स्टोर / स्मृति चिन्ह / 2026 / डी–..............दिनांकः–......................
5. बोली प्रपत्र शुल्क रूपये 200 / – चालान संख्या .... दिनांक.......................... द्वारा जमा करा दिये गये है / डी.डी. संख्या...................... दिनांक........................ (सचिव, जविप्रा के नाम) बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है। बोली प्रपत्र शुल्क, में MSME of Rajasthan and जोकि Goods आपूर्ति के लिए Registered हो के लिए 50 प्रतिशत की छट देय होगी।
6. कार्य की अनुमानित लागत 1.10 लाख रूपये है।
7. बोली प्रतिभूति राशि MSME of Rajasthan हेतु उपापन की अनुमानित लागत की MSME OF RAJASTHAN जोकि Goods आपूर्ति के लिए Registered हो के लिए 1 प्रतिशत एवं उक्त के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं से 2 प्रतिशत जविप्रा कोष में चालान से जमा करवानी होगी अथवा सचिव जविप्रा के नाम डी.डी. निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

चालान से जमा करवानी होगी अथवा सचिव जविप्रा के नाम डी.डी. निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8. प्राधिकरण में स्मृति चिन्ह् एवं साफा आपूर्ति की दरें वित्तीय प्रस्ताव में अंकित कर दी गई है।
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते स्वीकार है, जिनकी स्वीकृति स्वरुप हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. बोली/निविदा की वैधता अवधि बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस की होगी।
11. उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा समस्त बोली प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार रखती है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम....................................

दुकान का पता..................................

...

मोबाइल/दुरभाष न0..........................

उपायुक्त (...)
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

–: बोलीदाता को निर्देश :–

1. बोलियाँ ऑफलाईन माध्यम से एकल पद्धति (द्वि–भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओ की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। प्रथम सीलबन्द लिफाफे पर **तकनीकी प्रस्ताव** अंकित करते हुए, निर्धारित शुल्कों को जमा कराने के क्रम में चालान/डीडी, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र मय संलग्नक ए,बी,डी हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र एवं **MSME** बोलीदाता द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के खण्ड–11 के अनुसार शपथ पत्र रखे जाना है तथा द्वितीय सीलबन्द लिफाफे पर **वित्तीय प्रस्ताव** अंकित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में दरें अंकित की जाकर मय हस्ताक्षर रखा जाना है। दोनो लिफाफों को एक बडे लिफाफे में कार्य का नाम **स्मृति चिन्ह् एवं साफा की आपूर्ति** अंकित करते हुए निर्धारित समय एवं स्थान पर प्रस्तुत किया जाना है।
2. बोली दस्तावेज निर्धारित शुल्क जमा करवाकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। अथवा जविप्रा की वेबसाइट **www.jda.rajasthan.gov.in** अथवा **www.sppp.raj.nic.in** से डाउनलोड किये जा सकते है। बोली दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निर्धारित निविदा शुल्क जमा का चालान अथवा सचिव, जविप्रा के नाम की डीडी तकनीकी बिड के लिफाफे में रखी जानी है। निर्धारित शुल्क जमा नही होने कि स्थिति मे बोली पर विचार नही किया जावेगा।
3. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
4. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
5. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के सात दिवस के भीतर नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

6. बोलीदाता को इस बोली आमन्त्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्नक A, B, एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होगें।
7. सफल बोलीदाता द्वारा कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि एल.ओ.ए. की अनुमानित लागत का 5% अथवा 1 प्रतिशत (MSME के परिप्रेक्ष्य में) बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 14 दिवस के भीतर बैंक डी.डी./एफ.डी.आर./बैंक गांरटी (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम से देय हो) से जमा करानी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
8. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं जविप्रा के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
9. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।

–:कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्ते :–

1. स्मृति चिन्ह एवं साफा हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव मे ही अंकित की जानी है। दरें अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रतिनग/इकाई रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरें सामग्री के जविप्रा भण्डार तक सुपुर्दगी के लिए होगी।
2. बोली के साथ ''वित्तीय प्रस्ताव'' मे वर्णित समस्त मदों के नमूने बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व इस कार्यालय में जमा कराने होंगे। समस्त नमूनों पर आवश्यकतानुसार बोलीदाता को हस्ताक्षर कर फर्म की मोहर यथासम्भव अंकित करनी होगी। बिना नमूनों के बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्राधिकरण मे उत्तम गुणवता की सामग्री का ही क्रय किया जाना है जिसका निर्धारण सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा।

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

4. स्मृति चिन्ह एवं साफा की प्राधिकरण कार्यालय मे सप्लाई से पूर्व यह जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी कि वह आपूर्ति किये जाने वाले स्मृति चिन्ह् एवं साफा का नमूना प्राधिकरण द्वारा अधिकृत समिति/अधिकारी से स्वीकृत करावें।
5. आपूर्ति हेतु प्रस्तुत स्मृति चिन्ह एवं साफा की गुणवता को रद्द किये जाने की स्थिति मे ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर स्मृति चिन्ह एवं साफा वापस ले जानी होगा।
6. स्मृति चिन्ह एवं साफा की आपूर्ति जविप्रा के आदेशानुसार तीन दिवस में करनी होगी। आदेशित माल की तीन दिवस मे आपूर्ति नही करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान अनुसार परिनिर्धारण शुल्क अनुबन्धित बोलीदाता से वसूलनीय होगा। साथ ही Risk and Cost पर अन्य से।
7. अपूर्ण एवं असंतोषजनक सप्लाई अथवा कम गुणवत्ता की सप्लाई किये जाने पर बोलीदाता से किये गये अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर फर्म को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
8. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामान को सही स्थिति मे स्वयं के खर्चे पर प्राधिकरण तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन में हुई किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

–: मूल्यांकन कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :–

1. सर्वप्रथम बोलीदाताओ की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड मे सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओ द्वारा "वित्तीय प्रस्ताव" में प्रस्तुत दरों के आधार पर मदवार न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत नमूनों के आधार पर सक्षम समिति क्रय की जाने वाली सामग्री एवं बोलीदाता का निर्धारण कर सकेगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
4. कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्वि की जा सकती है, जिसके लिए बोली स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के क्रय की कोई गारन्टी नही होगी।
5. यह आवश्यक नहीं हैं कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, सक्षम समिति स्वविवेक एवं प्रस्तावित नमूनो की गुणवत्ता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से अनुबन्ध कर सकती है समान सामग्री के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी अनुबन्ध किया जा सकता है।
6. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूनों की गुणवत्ता एवं दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

अन्य शर्ते/अनुदेश :–

1. सचिव जविप्रा द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण स्टोर शाखा से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु बोली सूचना प्रकाशित होने/पोर्टल पर अपलोड करने के 4 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना–पत्र उपायुक्त (सा. स्टोर), क्रय समिति, कमरा नम्बर–5ए, मुख्य भवन–ग्राउण्ड फ्लोर, रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा गांधी सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 4 कार्य दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन www.sppp.raj.nic.in पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा।
4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 की धारा-38 के तहत् कोई भी निविदादाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह निर्धारित फीस के साथ प्रथम अपील अधिकारी आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी कार्यकारी समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर होंगे। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी। प्रथम अपील हेतु राशि रु. 2,500/– एवं द्वितीय अपील हेतु राशि रु. 10,000/– फीस सचिव, जविप्रा के पक्ष में देय डीडी से जमा करानी होगी।

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81(3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
7. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो जविप्रा एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म नाम...

दुकान का पता...

..

मोबाइल/दुरभाष न0 ....

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

"वित्तीय प्रस्ताव"

कार्य का नाम– जविप्रा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भेंट स्वरुप दिये जाने वाले स्मृति चिन्ह् एवं साफा की आपूर्ति

क्र. सं.	सामग्री विवरण	अनुमानित मात्रा	ईकाई	दर प्रति ईकाई	जीएसटी राशि	कुल राशि जीएसटी सहित
1	गणेश प्रतिमा मेटल (बड़ी)	01	प्रति नग	अंको में........................... शब्दों में...........................		
2	हवामहल प्रतिमा मेटल (बड़ी)	01	प्रति नग	अंको में........................... शब्दों में...........................		

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

3	साफा बंधा हुआ (चुनरी)	01	प्रति नग	अंको में............................. शब्दों में.............................		

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम :–..

दुकान का पता :–..

..

मोबाइल / दूरभाषः–......................................

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other b0enefit or avoid an obligation;

(c) Not ind2ulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

DC (Store)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

Signature of bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated........................ I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

DC (Store)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

Annexure C: Grievance redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is..................................
The designation and address of the Second Appellate Authority is............................

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

DC (Store)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

Signature of bidder (in case of appeal)

(6) **Fee for filing Appeal:-**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of Appeal:-**

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

DC (Store)
JDA, Jaipur

Signature of bidder (in case of appeal)

उपायुक्त (स्टोर)
जविप्रा, जयपुर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012

Appeal No.. of .... Before the................................ (First/Second Appellate authority)

1- Particulars of appellant :
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2- Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3- Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, Action or omission of the procuring Entity In contravention to the provisions of the Act By which the appellant is aggrieved:

4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6- Grounds of appeal: ....
(Supported by an affidavit)

7- Prayer: ....

Place: ....

Date: ....

DC (Store)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (स्टोर)
जाविप्रा, जयपुर

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary quantities.**

(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased or decreased, by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the biding document due to change circumstances, the bidder shall not be entitled to any claim or compensation except otherwise provide in the conditions of contract.

(iii) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. It the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods):-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

DC (Store)
JDA, Jaipur

उपायुक्त (स्टोर)
जाविप्रा, जयपुर

Signature of bidder